(b) the names of the countries where there is a great demand of Indian Coconut; and

(c) the foreign exchange earned during the same period?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c). India exported 189,000 Nos. coconuts valued at Rs. 75,000 during 1964-65 (upto December, 1964). Indian coconuts are in demand in Bahrein Island, Iran, Iraq, Kuwait, Turkey and Qatar and Trucial Oman.

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DECISION OF LIC OFFICERS TO GO ON STRIKE

Mr. Speaker: The question hour is over. We will take up the Calling Attention Notice. Shri Kachhavaiya.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान .....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मैं यह जानना चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री मधु लिमये : मैं ने एक विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उसके सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो कि कृपया सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था कैसे आ गई ?

श्री मधु लिमये : मैं ने एक विशेषधिकार का प्रश्न उठाने का नोटिस दिया था (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि इस तरीके की कार्यवाही हर रोज यहां हाउस में हो । मुझे कल यह इन्होंने भेजा है और उस विशेषाधिकार के नोटिस को मैं अपने सामने रक्खे हूं । वहां मैं ने 4 ए पर रक्खा हुआ है । मैं उसको लूंगा, लेकिन पहले यह सब कार्यवाही बन्द कर दी जाय क्योंकि यह चाहते हैं कि मैं उसको अभी उठाऊं ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय यह कहना उचित नहीं है क्योंकि तीन दिन से यह मामला चल रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : दस दिन से भी रक्खा हो तो क्या हुआ । मैं ने उसको नामंजूर किया था । तीन दिन से चलता है और फिर मुझे यह कल दिया गया है और मैं उसको लेने के लिए कह रहा हूं तब फिर इस वक्त क्यों झगड़ा किया जा रहा है ?

श्री मधु लिमये : झगड़ा नहीं है मैं तो खाली उसके बारे में .....

अध्यक्ष महोदय : अब यह जो बीच में कार्यवाही न चलने देकर अपनी बात कह रहे हैं यह और क्या है ?

श्री मधु लिमये : हम कोई झगड़ा नहीं करते । आपके कहने पर हम बैठ गये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने पर ही क्यों बैठे ? जो कार्यवाही चलनी है उसे फिर चलने क्यों नहीं देते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा की शोभा को तभी निभाया जा सकता है जब सब लोग इसकी शोभा को निभायें वरना वह निभ नहीं सकेगी । आपके सामने विशेषाधिकार का सवाल उठाया गया । आपने कल हमारे नेता को कहा था । अगर प्रधान मंत्री ने दुरुस्ती की है तो यह विशेषाधिकार उनके

[डा० राम मनोहर लोहिया]

खिलाफ है अगर उन्होंने दुरुस्ती नहीं की है तो यह प्रेस ट्रस्ट और सूचना मंत्रालय के खिलाफ है। यह मामला खत्म हो गया है। आपने अपने यहां बुलाया सारी बातें हो गयीं लेकिन फिर अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए क्या रास्ता रह जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैं डाइरैक्शन बतला रहा हूं। डाइरैक्शन नम्बर 2 जिसमें कि विजनैस का अरेंजमेंट है ।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): That matter gets priority.

Mr. Speaker: That comes after the Papers have been laid on the Table.

माननीय सदस्य उसको पढ़ें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ऐसी बात तो नहीं है । मैं ने भी उसको पढ़ा है। उसमें तो यहां तक दिया हुआ है कि विशेषाधिकार का सवाल सवाल जवाब के ठीक बाद, ध्यानाकर्षण नोटिस को तो छोड़ दीजिये लेकिन वह स्थगन प्रस्ताव के भी पहले आ जाता है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के पहले आता है ।

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब ने वह नहीं देखी है जो कि मेरे पास यह डाइरैक्शंस हैं अरेंजमेंट आफ विजनैस की । अगर वह उसको देख लेते तो वह इस तरह से न कहते।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लिस्ट आफ विजनैस को देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मुझे पढ़ने दीजिये । मैं लिस्ट आफ विजनैस पढ़ता हूं :—

"Oath or affirmation, questions (including short notice questions), obituary references, papers to be laid on the Table, communication of messages from the Council of States, intimation regarding president's assent to Bills, communications from Magistrates or other authorities regarding arrest or detention or release of members of the House, presentation of reports of committees, laying of evidence, presentation of petitions, questions involving a breach of privilege...."

डा० राम मनोहर लोहिया : 12 नम्बर पर यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव है जो कि स्थगन प्रस्ताव से पहले आता है (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे हाउस की रेगुलर कार्यवाही को आगे चलाने दिया जाय ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा 9 मार्च, 1965 से हड़ताल करने के निर्णय के समाचार।" (इंटरप्शंस)

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : जब इनकी बात ही नहीं सुन पाये तो रिप्लाई कैसे सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने बोल दिया है ।

श्री प्रिय गुप्त : झगड़ा और शोरशराबा हो रहा था, सुन नहीं पाये उन्हें कहा जाय कि कि वे फिर कह दें ।

अध्यक्ष महोदय : एजेंडा आपके पास है उसमें से ही उन्होंने पढ़ा है ।

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): It is a long statement which runs to five pages. Shall I read it?

Shri Priya Gupta: Sir, on a point of order. The procedure of the House

demands that what is going on in the House must be heard. Otherwise, what is the object of reading it at all? So, the procedure demands that it must be read in a way that it can be heard and understood.

Mr. Speaker: It has been read out and read out so loudly that everybody except perhaps him has heard it..... (*Interruption*).

Shri Priya Gupta: I have not heard it.

Mr. Speaker: There is no point of order. He should sit down.

Shri Priya Gupta: I will; but I beg to submit that we have not heard it. Nobody has heard it.

Mr. Speaker: May I ask the Leader of his Party just to advise him not to continue in this manner?

Shri Priya Gupta: I would request you.....

Mr. Speaker: Now he is obstructing the proceedings.

Shri Priya Gupta: Excuse me; but nobody has heard it.

An hon. Member: So many have heard it.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): We have heard it from here, a long distance.

Shri Priya Gupta: Still, I protest. We have not heard it.

Mr. Speaker: He has been deliberately obstructing the proceedings and I will ask him to withdraw from the House.

श्री प्रिय गुप्त : आपने सदन के कानून को भंग किया है ।

12.06 hrs.

(Shri Priya Gupta then left the House).

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): I will submit to you that we are having obstruction of our proceedings every day, but I would beg of you not to do this.

Shri Raghunath Singh: Why not?

Shri Surendranath Dwivedy: It is not that we are very happy over what has been done, but, as you know, hon. Members have obstructed you even in starting the business of the House and yet you have tolerated it —not only you have tolerated it but you have given them time to discuss the matter.

Mr. Speaker: That, he would see, already I have put down here. It is not that I have given them time. It would not have been fair on my part, because they had obstructed, to take it out of there.

Shri Surendranath Dwivedy: He had been representing only his difficulty. He will obey your ruling. When he said, "I still protest", he has not defied you. The only thing he has done is that sitting in his seat, he was making noise in the sense that he was shouting, "I protest; I protest". That is generally done here in this House. I think, this punishment is very harsh and you should reconsider it.

Shri Nath Pai (Rajapur): We should appreciate Shri Priya Gupta's point of view. When you called upon the hon. Member in charge of the floor, Shri Kachhavaiya, who was trying and of course doing his very best to read it out loudly—and he did read it out loudly—there were other voices mixed because all had not obeyed your ruling.... (*Interruption*). Let us kindly bear. I would appeal to the House that we would not condone indiscipline in this House. We do not believe that it is a part of heroism to go on defying the Chair. It is false heroism. But what I want to emphasize is this. We did ask Shri Priya Gupta and, of course, in the long run he did obey your ruling, maybe disagreeing with you. The point he was emphasizing was that because there were other voices raised in defiance of your ruling, he did not hear clearly. I would like you to bear this in mind also. We do not want recalcitrance. Our Party does

[Shri Nath Pai]

not encourage defiance of your authority and make it symbolic with militancy. But we do think, I am afraid, that Shri Priya Gupta ought not to have been asked to leave the House.

डा० राम मनोहर लोहिया : अभी माननीय सदस्य ने बहुत सी ऐसी बातें कह दी हैं जिन का कि प्रत्यक्ष मतलब हम लोगों से होता है (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उन का यह बात कहना अनुचित है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : बिलकुल उचित है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बिलकुल दुरुस्त है कि जो मैम्बर ने बातें कही हैं उन का बिलकुल आप की पार्टी से ताल्लुक़ है और आप के मैम्बरों से ताल्लुक़ है और मुझे इस बात को देख कर खुशी हुई है कि हाउस इस बात को सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि अगर चेयर की डिफाएंस की जाय तो उस पर ऐक्शन लिया जाय और मैं यह वाजे कर देना चाहता हूं कि इस में मैं फ़ेल नहीं हूंगा । मैं ज़रूर ऐक्शन लूंगा । अगर एक वक्त नहीं लिया तो आप इंतज़ार करें । अगर ऐसी चीज़ चलती रही तो मुझे उस में ज़रूर ऐक्शन लेना पड़ेगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह भाषा आप को शोभा नहीं देती है (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : चाहे कोई पार्टी हो और चाहे कोई सदस्य हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो अगर वह यहां के काम में रुकावट डालता है और चेअर की डिफाएंस करता है तो मैं उसे बिलकुल स्पेयर नहीं कर सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप यह पार्टी आदि की बात न करिये, बल्कि आप क़ानून की बात करिये । अकेला आदमी भी अगर क़ानून के अन्दर चलता है तो उसे बहुसंख्या के खिलाफ चलते हुए भी अधिकार है कि वह अपनी बात कहे सवाल तो यह देखने का है कि वह कानून के अन्दर चलता है या नहीं । इसलिये यह बहुसंख्या वाली बात करना कुछ उचित नहीं है .... (इंटरप्शंस)

अध्यक्ष महोदय : यह रोज का मामला है इसलिए इस का फैसला हो जाने दीजिये । यह कौन फैसला करेगा कि आया कोई माननीय सदस्य क़ानून के अन्दर चल रहे या नहीं चल रहे हैं ?

कई माननीय सदस्य : आप फैसला करेंगे ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : वह तो आप के हाथ में शक्ति है ही और जब भी चाहें उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं । लेकिन इस तरह से एक ज़रा सी बात के ऊपर किसी माननीय सदस्य को यहां से निकाला जाता है तो यह . . . . (इंटरप्शंस)

इस का क्या मतलब है ? ये क्यों चीख़ रहे हैं ? आप इन को निकालिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे मेम्बर्ज़ के बारे में इस तरह ज़ोर से कह रहे हैं कि ये चीख़ क्यों रहे हैं, क्या यह मुनासिब है ?

श्री मौर्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप के हाथ में जो शक्ति है, उस को तो आप हमेशा इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर उस शक्ति को रुक कर और साधना के साथ इस्तेमाल किया जाये, तो ज्यादा अच्छा हो । अगर एक माननीय सदस्य नहीं सुन पा रहा है कि सदन में क्या हो रहा है, तो यह जानने की कोशिश करना उस का

अधिकार हो जाता है कि सदन में क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस में कोई चीज़ पढ़ी जाये और कोई माननीय सदस्य कहे कि उस ने नहीं सुना, तो उस चीज़ को दोहरा दिया जाता है । सिर्फ़ मैंने ही नहीं, बल्कि मेम्बरों ने भी कहा कि माननीय सदस्य, श्री कछवाय, ने जो कुछ पढ़ा है, वह एजेंडे पर है और अगर उस को ठीक तरह से नहीं भी सुना गया है, तो उस को एजेंडे पर देखा जा सकता है । हर एक मेम्बर फ़ालो कर रहा है, क्योंकि वह आइटम एजेंडे पर है । मैं ने माननीय सदस्य को दो तीन बार मश्वरा दिया कि श्री कछवाय ने जो कुछ पढ़ा है, उन्होंने उस को ज़ोर से भी पढ़ा है और अगर वह चाहें, तो उसे एजेंडे पर भी देख सकते हैं । अगर माननीय सदस्य का मतलब सिर्फ़ यह होता कि उन को इस का इल्म हो जाये, तो उस में कोई रुकावट नहीं थी । लेकिन यह बात नहीं थी । एजेंडा उन के सामने था और वह इस आइटम को जान गए थे । वह तो इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि चूंकि पढ़ा जाना ज़रूरी है और जो कुछ पढ़ा गया है, वह उन्होंने सुना नहीं है, इसलिए उस को दोबारा पढ़ा जाना चाहिए ।

अब मिनिस्टर साहब जवाब दें ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इजाज़त नहीं दे सकता हूं ।

Shri Surendranath Dwivedy: Sir, may I request you again to reconsider this and allow Mr. Priya Gupta to come in the House?

Mr. Speaker: Not at this stage.

Shri Nath Pai: We plead with you.

Shri Surendranath Dwivedy: I think it is a very harsh punishment and, I think, it is not proper to ask the Member in this manner to leave the House. We are always, the Party as a whole, anxious to cooperate with you in enforcing discipline and we always bow to your authority. But in this matter, we are sorry to say that the punishment that has been given is improper and wrong and we also walk out in protest.

12.13 hrs.

(Shri Surendranath Dwivedy and some other hon. Members then left the House).

श्री मौर्य : हम भी यही महसूस करते हैं ।

(Shri Maurya then left the House)

Shrimati Renu Chakravartty: We are having various difficulties in the conduct of the business of the House. Every day, we are obstructed. I would beg of you that in this case, in the case of Mr. Priya Gupta, you should be a little more lenient and in future, we hope, he will behave. I would beg of you to withdraw your order.

Mr. Speaker: That cannot be done immediately.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कछवाय, ने जो पढ़ा, वास्तव में वह उस को बहुत जल्दी में पढ़ गए और उस के कारण हम भी उस को सुन नहीं पाए । इसलिए मेरा आप से यह नम्र निवेदन है कि आप इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करें । आप के हाथ में जो शक्ति है, उस को आप ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग न करें, बल्कि जो जान-बूझ कर कुछ करे, उस पर प्रयोग करें ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri T. T. Krishnamachari: The Life Insurance Corporation announced on the 22nd February, 1965, the revision of terms of Class I Officers, whereunder the pay scales for all Class I Officers, except the two top grades, were revised upwards. The

[Shri T. T. Krishnamachari]

Dearness Allowance for the lower category of Class I Officers were also enhanced to bring the total emoluments on part with similar Central Government Class I Officers. In addition,, House Rent Allowance at the same rate as for Central Government Officers, has been sanctioned to these officers. Further in the case of promotions to the rank of Class I Officers the emoluments drawn before promotion to Class I, including Dearness Allowance, House Rent Allowance and the Bonus equivalent, have been protected. These benefits have been given retrospective effect from the 1st April, 1964. The Corporation is also finalising a scheme of medical benefits to its officers and is also considering the question of giving them other facilities admissible to Government officers.

2. It seems that without waiting for the announcement of the revised terms for Class I Officers, the President of the Life Insurance Corporation of India Class I Officers' Association and the President of the National Federation of Insurance Field Workers of India issued a joint statement to the Press on the 19th February 1965, announcing their decision to launch countrywide agitation on and from 1st March, 1965, including protets rallies, hunger strikes and other stronger forms of agitation

3. After the announcement of the revised pay scales by the Corporation on the 22nd February, 1965, the two Presidents again issued a Press Statement stating *inter alia* that both Class I and Class II Officers will launch a joint line of agitation on an all-India basis, demanding revision of salary scales, annual cash bonuses, better incentive, linking of Dearness Allowance to Consumers' Price Index, House Rent and medical benefits for officers and their families, etc.

4. The President of the Life Insurance Corporation Class I Officers' Association addressed a letter to the Chairman of the Corporation on the 25th February, 1965, intimating that the Federation will launch struggle for securing their demands by what is termed as 'Down with Tools' taking effect from 9th March, 1965. The Federation's decision to call upon its members to observe 24 hours' mass fasting from 2 P.M. on 6th March to 2 P.M. on the 7th March, 1965, was also communicated. Furthermore, the President of the Association stated that he was satisfied that the demands of Class II Officers were very fair and reasonable.

5. I would now give the House a brief account of the Life Insurance Corporation's efforts in regard to meeting the demands of the Class II Officers, that is, Development Officers. It was only less than one year ago, on the 10th March, 1964, to be precise, that the Corporation concluded an agreement with the Federation revising the pay scales, dearness allowance and conveyance allowance to Development Officers. The question of procedure for granting increments was left over for further discussions. In this connection I should like to mention that the Development Officers are engaged on out-door work. By the very nature of their work, they have no office or any regular office hours and the only way to judge their work is by results in the light of certain standards or norms. The Corporation feels that it would not be possible or proper to grant them automatic increments regardless of their performance. While discussions were going on between the Corporation and the representatives of the Federation it was agreed that a Development Officers would be given a chance to explain his position before his increment is withheld and would also be given the right of appeal to the Zonal Manager. The question about norms of work was left to be taken up after the Federal Council meeting on the 6th and 7th February 1965 at the instance of the Federation's representatives to enable them to consult their colleagues. Notwith-

standing this, the Federal Council decided on automatic increments with effect from 1st January, 1965 and also on unconditional release of increments for the year 1964 to all Development Officers. After the Council meeting, the Federation issued a circular stating that in case these demands were not accepted by the Corporation the Federation would start an agitation in March, which would *inter alia* include 'no new business programme The Corporation discussed the matter with the Federation President on the 18th February, 1965 and impressed on him the unreasonableness of the Federation's demand for unconditional grant of increments. It was also impressed by the Corporation that the contemplated agitation to be launched in March 1965, particularly the 'no new business' programme was obviously meant to coerce the Corporation into accepting their demands. The Corporation urged the President to consider dispassionately the suggestions made to him.

6. The Corporation regrets that the Federation has decided to go on 'no new business' programme which is not only against the interest of the institution which they are serving but also against the interest of the agents and the general public who wish to go in for insurance protection. The decision of the Life Insurance Corporation Class I Officers' Association and the National Federation of Insurance Field Workers to launch agitation for redress of their grievances, especially so when the Corporation has done all that it could to meet the legitimate demands of the Class I Officers and the Development Officers is unfortunate. The remuneration of the Life Insurance Corporation Class I Officers is as I stated already on par with Class I Officer of Government and the question of giving them other facilities like medical benefits, is engaging the Corporation's attention. About Development Officers, the utility of a Development Officers depends entirely on the volume of business he is able to bring to the Corporation. The acceptance of the demand for automatic increments without relating it to the performance would not be in the interest of the Corporation and its policyholders.

7. In this context I would like to mention that the Corporation's renewal expense ratio has to be within the statutory limit of 15 per cent. prescribed under the Insurance Act. Already on account of the agreement between the Corporation and the Class III and Class IV employees' Association and the consequent additional cost involved in implementing the agreement, the renewal expense ratio during the year 1964-65 would go upto 13·64 per cent and to 14·27 per cent. in 1965-66. With the revision of pay scales and the grant of House Rent Allowance to Class I Officers, the renewal expenses ratio will be pushed up further.

8. The House will appreciate that as envisaged under the Statute, the Corporation has to function on business principles and has, therefore, to keep a continual check on the renewal expense ratio so that the statutory limit is not exceeded. While I am sympathetic towards the legitimate demands of officers, I cannot but deprecate the agitation, which is not only against the interest of the institution to which they are attached but is against the policyholders as well. I hope that the Federation would still see its way to resume discussions and give up this agitation. I can assure the House that the Corporation wants to be fair to its officers and will do all that is possible to safeguard their legitimate interests and aspirations subject only to the paramount interest of the Corporation and its policyholders. I do hope the Class I officers and the Development Officers will reconsider their attitude and call off the programme which they have announced. On their part, Government while maintaining an attitude of sympathy towards the genuine difficulties and grievances of the employees, will in the event of the Class

[Shri T. T. Krishnamachari]

I officers and the Development officers implementing their programme of "Down with Tools" or "No New Business" render all assistance to the management to ensure that the normal work of the Corporation and the interests of the policyholders do not suffer. I would like to add that recently an officer of the Central Government who has considerable experience in administration and the policies of the Central Government has taken over as Chairman. I would like to tel lthe representatives of these two associations to discuss these matters with him, and I have every confidence that they will find in him a sympathetic listener who would appreciate the point of view of the employees as well as the interest of the Corporation and the well-being of the concern as a whole.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Who is that officer?

श्री हुकम चन्द कछवाय : विकास अधिकारियों पर वे सभी पाबंदियां लागू हैं जोकि कारपोरेशन के नियमित कर्मचारियों पर लागू होती हैं तो फिर क्या कारण है कि उनके साथ अनियमित कर्मचारियों का सा व्यवहार किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है ? नियमित कर्मचारियों की यूनियन के साथ जो कारपोरेशन ने समझौता किया है क्या सरकार विकास अधिकारियों की यूनियन के साथ भी वैसा ही समझौता करने को तैयार है, यदि हां तो कब तक वह ऐसा कर लेगी ?

Shri T. T. Krishnamachari: I have stated all that I know about it. I have called for the information and I have given the fullest information to the House. I have suggested that representatives of these two groups of officers should discuss these matters with the new Chairman and find out if they cannot amicably settle the outstanding problems, and I have already conveyed the feeling that Government has that they will get fair treatment.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने पूछा था कि जो नियमित कर्मचारी हैं उन के ऊपर जो नियम लागू हैं वे क्या इन पर भी लागू नहीं हैं और क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ बातचीत करेंगे फिर सब कुछ बता सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : मेरी गुजारिश यह है कि दो तबकों के जो कर्मचारी हैं उन के बारे में उन्होंने जो बयान दिया है, उसके सम्बन्ध में मुझे दो सवाल पूछने की इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : दो नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : दो अलग अलग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम बहुत अर्से से चला आ रहा है, इस को मैं कैसे बदल दूं ?

श्री मधु लिमये : जीवन बीमा निगम के जो द्वितीय वर्ग के कर्मचारी हैं उन के साथ दस मार्च को समझौता हुआ है और उसका उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समझौते के अन्तर्गत यूनियन को या फैडरेशन को यह आश्वासन दिया गया था कि उन को भी इनक्रीमेंटल स्केल दिया जायगा और इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है यह फीजिबल है, क्या यह सही है ? अगर सही है तो इसका पालन क्यों नही हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप का सवाल आ गया है ।

श्री मधु लिमये : दूसरा महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में मेरा सवाल है । उन की फैडरेशन के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई थी कि जो

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन के बारे में फैसला हो जायेगा और उन को महंगाई भत्ता मिल जायेगा तब इन की मांग पर भी विचार किया जायेगा और इन को भी बढ़ाया जायेगा, क्या यह सही है ?

Shri T. T. Krishnamachari: I am not in a position to answer the second question because I have not got the information.

In regard to the first question, I have dealt with it in my statement. Certain agreements were entered into in March, 1964 and the question of increments is left over. The position is that all the safeguards which are necessary for sort of judging whether they are entitled to increments or not have been provided, and if increments have been stopped merely because of the lack of business, there is a right of appeal to the Zonal Manager, which means he will discuss this problem.

Broadly, the two factors are these. One is that, in the case of these Development Officers, they want an automatic increment whether they produce business or not. In the case of Class I officers, they want certain levels of salary which are in excess of what is granted to Government servants themselves. But within these two factors, if it is any question of judging the norm of work and their entitlement to increment, and also the question whether the officers do get salaries approximate to Government servants' salaries, or if any lacuna is there, or any difference, these matters should be discussed.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय . .

अध्यक्ष महोदय : और नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । वह गलत समझे हैं मेरे प्रश्न को ।

अध्यक्ष महोदय : गलत नहीं ठीक समझे हैं ।

श्री मधु लिमये : मैंने पूछा था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं और इजाजत नहीं दे सकता हूं, आप बैठ जायें ।

श्री मधु लिमये : मैं आप की इजाजत से इस को टेबल पर रखता हूं, यह जो कागज इसके बारे में है इस को गलत जवाब वित्त मंत्री ने दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस को मैं देख लूंगा । लेकिन अब आप बैठ जायें ।

श्री मधु लिमये : प्रश्न का जवाब . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : कहां डाल रहे हैं ? जवाब ही नहीं

अध्यक्ष महोदय : आप काम चलने नहीं देते हैं । मैंने दूसरे मैम्बर को बुलाया है . . .

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उत्तर न मिले तो क्या हम आपकी प्रोटैक्शन सीक नहीं कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर तो आ गया है । बार बार अगर इस तरह से खड़े हो कर बोलना शुरू कर दिया जाय तो वह बाधा है ।

श्री रामसेवक यादव : जब निवेदन किया जाय तो

अध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरे को बुलाया है और .

श्री मधु लिमये : किसी प्रश्न का अगर उत्तर न आये तो . .

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया है ।

श्री रामसेवक यादव : आपके जरिये निवेदन तो किया जा सकता है ।

श्री मधु लिमये : बाधा डालने की कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : और कैसे बाधा डाली जाती है । इस तरह से ही तो डाली जाती है । कार्रवाई हो रही है, उसको आप चलने नहीं देना चाहते ।

श्री मधु लिमये : प्रश्न का जवाब क्या दे रहे हैं, इसको भी तो आप देखें ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप जान बूझ कर बाधा डाल रहे हैं । आप बैठ जायें ।

श्री मधु लिमये : मैं बैठ जाता हूं लेकिन . .

श्री रामसेवक यादव : जान बूझ कर अगर आप कहें तब तो बड़ा मुश्किल है, क्या जान बूझ कर होगा और क्या नहीं होगा, इसकी व्याख्या करना तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा ।

Shri S. M. Banerjee: In the reply given to the second question, the hon. Minister stated that a new Chairman had been appointed who is quite sympathetic to the demands of the employees. I would like to know whether, after this statement, the hon. Minister will issue the necessary instructions to the Chairman of LIC to have another negotiation with both the organisations, and in the event of failure of the negotiations, he prepared to refer certain questions of non-agreement or disagreement to arbitration?

Shri T. T. Krishnamachari: The Chairman of LIC is the Chairman of LIC and also Chairman of the Board. Whatever he does will have to be done in consultation with the Board. There is no question of the Government interfering at this stage and issuing any instructions. I have merely suggested that this officer has taken charge, and there will be an opportunity for them to discuss this matter with him.

Shri S. M. Banerjee: In case of non-agreement, is he prepared to refer certain issues to arbitration?

Shri T. T. Krishnamachari: As I said, this is a matter which has to be decided by the Board and the Chairman. When the matter comes to Government, it will be time for Government to consider it.

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): May I know if in the agreement that was arrived at between LIC and two organisations concerned, it is clearly written:

> "LIC, therefore, agrees with the Federation that the introduction of a regular annual increment in the time scale of pay would be feasible as it gives a sense of security to Development Officers."?

What is the reply of the hon. Minister to this line in the agreement that was reached between the two parties?

Shri T. T. Krishnamachari: All the information that I have, I have placed before the House.

Shri Dinen Bhattacharya: This is the draft agreement.

Shri T. T. Krishnamachari: I can only give the information that I have got. I am not actually administering this particular organisation. I have called for information and I have given completely all the information that I have.

श्री मधु लिमये : आप सदन को गुमराह क्यों करते हैं ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री जी के वाक्य पर

मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं । जिस खास बात का उत्तर देना हो, जिस बात के ऊपर ध्यान आकर्षण हो और जो उन के ही महकमे से सम्बन्धित हो, उस के बारे में अगर मंत्री महोदय कहें कि मुझे जानकारी नहीं है तो वह सदन को जानकारी किस तरीके से दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जो कवायद सवालों के लिये हैं वही कालिंग अटेंशन नोटिस के लिये हैं । अगर मिनिस्टर के पास जानकारी न हो तो वह कह सकते हैं कि यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री बागड़ी : यह मामला उन के महकमे का है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह व्यवस्था का प्रश्न है । आप मेहरबानी कर के लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश देखिये और कार्य का क्रम देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह दूं तो शायद आप की मदद हो जाये । इस में कालिंग अटेंशन नोटिस बाद में लिखे हुए हैं, लेकिन जब मैं ने कहा था कि ऐडजर्नमेंट मोशन जो होते हैं उन की जगह कालिंग अटेंशन नोटिस दिये जायें उस के बाद से हम उन को पहले लिया करते हैं । इस की तब्दीली हो गई है । अगर इस के रिफरेंस में कुछ कह रहे हों तो पोजीशन यह है, अगर और कुछ कहना हो . . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : नं० 2 पर है विशेषाधिकार का प्रश्न और नं० 4 पर है ध्यान दिलाने वाली सूचनायें । तो मैं बिल्कुल अपने हक पर बोल रहा था । लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि हम लोग हिन्दुस्तानी में बोलते हैं, इसलिये हमारे साथ अन्याय हो जाया करता है और हम दबा दिये जाते हैं, दूसरे दर्जे के सदस्य मान लिये जाते हैं । अब आप यहां पर देखिये कि लिखा हुआ है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से यही कह रहा था कि जब हम ने यह फैसला किया कि यहां ऐडजर्नमेंट मोशन ज्यादा न आयें क्योंकि उन का मतलब कालिंग अटेंशन नोटिस से होता है, तब से हम ने इस को उठा कर पहले रख दिया है । तब से पहले क्वेश्चन अवर उस के बाद एडजर्नमेंट मोशन और फिर कालिंग अटेंशन नोटिस लिया जायेगा । यही मेरी आप से विनती है । अगर आप यह प्वाइंट आउट करना चाहते हैं कि जो इस में लिखा हुआ है उस के अलावा कोई चीज हो रही है, तो कोई कंट्रैडिक्शन है, तो ऐसा नहीं है । सारे हाउस ने इस का फैसला कर के इस को पहले रक्खा हुआ है । इस वास्ते इस को जतलाने की जरूरत नहीं । जिस तरतीब में इसे आना चाहिए उसी तरतीब में मैं इस को ले रहा हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तो इस किताब को आप बदलवा दीजिये । आज तक हम लोग इसी को मान रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा मैं किताब बदलवा दूंगा ।

12.32 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 1957

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi): Sir, I lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957:—

(i) The Mineral Concession (First Amendment) Rules 1965, published in Notification No. G.S.R. 140 dated the 23rd January, 1965.